

## भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार

चौथा/छठवा तल्ला,बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०मुख्यालय भवन,परिसर,  
शास्त्री नगर,पटना

द्वतीय मंजिल बी० एस० एन० एल० बिल्डींग, रोड नं०-10  
पटेल नगर,पटना-800023


### सार्वजनिक सूचना

यह देखा गया है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम,2016 की धारा 31 और 71 एवं बिहार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम,2017 के नियम 36 एवं 37 के तहत आवंटी (Allottee) द्वारा प्रवर्तक (Promoter)से आवंटन रद्द करने और धन वापसी की मांग के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किये बिना ही भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) में सीधे शिकायत दर्ज किया जा रहा है।

अतएव इस संबंध में एतद् द्वारा सभी संबंधित शिकायतकर्त्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे शिकायत और अन्य दस्तावेज के साथ इस तरह के आवेदन साक्ष्य के रूप में दाखिल करें, अन्यथा आपके शिकायत आवेदन को खारिज किया जा सकता है अथवा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शिकायतों का निष्पादन किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाए।


सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार

  
प्राधिकृत पदाधिकारी

पटना,दिनांक 25.05.2022

ज्ञापांक-RERA/Legal/50/2022 / 90

प्रतिलिपि आई०टी०कन्सलटेंट, रेरा, बिहार को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
प्राधिकृत पदाधिकारी